न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज०

अनवान– विनोद कुमार पुत्र भजन लाल जाति मेघवाल बनाम कालूराम पुत्र श्री लाल सिंह जाति बावरी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर ...108.../2016

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियल जज	हुक्म तारीख व तामिल
25.11.16	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित चक 4 बीजीएम तहसील श्रीविजयनगर का मु0न0 153/380 का किला नम्बर 1 ता 15 के रकबा के किसी भी हिस्से में अनाधिकृत रूप से कोई नक्का एवं खाला आदि बनाने से बाज व ममून रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित रकबा चक 4 बीजीएम तहसील श्रीविजयनगर का मु0न0 153/380 का किला नम्बर 1 ता 15 के रकबा के किसी भी हिस्से में अनाधिकृत रूप से कोई नक्का एवं खाला आदि बनाने से बाज व ममून रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.12.16 ....को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये
7.10.19 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित नहीं। एवं ना ही वादी स्वयं उपस्थित। बार-2, रूक-2 कर आवाजे लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। प्रियंका तलानिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	

Scanned by CamScanner